पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 नवंबर 2022

क्रमांक आर नं. 856697/2022/22/पं.-2 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 129-क से 129-च सहप्रतिद्ध धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतहुँवरा, निम्नलिखित नियम बनाती है जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22 सितंबर, 2022 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थातः-

नियम
अध्याय एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा भारतीय-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 है।
(2) ये मध्यप्रदेश के भीतर सभी अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होंगे।
(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ-

(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम"से अभिप्रेरित है, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40);
(क) "ग्राम समा" से अभिमृत है, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले कोई निकाय जिनके नाम ग्राम स्तर पर या उसके ऐसे भाग में, जिसके लिए उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित नियोचक नामांकन में आए हैं;

(ग) "गौण वन उपज" से अभिमृत है, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) की धारा 2(इ) के अंतर्गत परिभाषित गौण वन उपज;

(घ) "पंच"से अभिमृत है ग्राम पंचायत का पंच;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिमृत है ग्राम सभा के समिति का अध्यक्ष;

(च) "सरपंच"से अभिमृत है ग्राम पंचायत का सरपंच;

(छ) "अनुसूचित क्षेत्र"से अभिमृत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र;

(ज) "लघु जलसागर"से अभिमृत है गांव की सागर के भीतर पडने वाले प्राकृतिक व मानवनिर्मित जल निकाय, जलीय संरचना, तटीय क्षेत्र, तालाब, झील, पोखर, डबरी और अन्य किसी नाम से जाने जाने वाली संरचनाएं, जिसका जलभराव क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर अधिक विस्तार क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर तक हो;

(झ) "ग्राम"से अभिमृत हैं, किसी अनुसूचित क्षेत्र में का कोई ऐसा ग्राम, जो साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा ग्राम या छोटे ग्रामों का समूह से मिलकर बना हो, जिसमें एक समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढियों के अनुसार अपने कार्यक्लापों का प्रबन्ध करता हो;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किसी परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा कि सूचनागत संहिता, अधिनियम एवं नियमों में उनके लिए समन्दरोदित किया गया है।

अध्याय-दो
ग्राम सभा एवं पंचायत राज संस्थाएं

3. ग्राम सभा का गठन,-

(1) साधारणतया ग्राम के लिए एक ग्राम सभा होगी, जैसा कि इन नियमों के नियम 2 (1) (क) में परिभाषित किया गया है:

परन्तु यदि किसी आवास या आवासों का समूह या फलिया या टोला के मददारों की यह हृदय हो कि निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जाए जिसमें समुदाय, परम्पराओं और रूढियों के अनुसार अपने कार्यक्लापों का प्रबन्ध करता हो, तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा -

(क) कोई ग्राम या ग्रामों का समूह;

(ख) खेड़ा (हेमेट) या खेड़ा (हेमेटस) के समूह जिसमें फलिया, मजरा, टोला या पारा आदि समन्दरोदित हैं;

(ग) आवास या आवासों का समूह।
(2) खेजा या फलिया या टोला या पारा या इन के समूह के अनुसूचित जनजाति वर्ग के सहायक मंत्रालय से प्रस्ताव पारित कर, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) से उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए पृथक ग्राम सभा के गठन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस आवेदन में,-
(c) संबंधित फलिया या टोला या गांव के पचास प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान होंगे;
(x) फलिया या टोला या गांव की पारंपरिक सीमाएं दर्शाता हाय से बनाया हुआ नक्शा या नजरी नक्शा संलग्न होगा। इन सीमाओं में राजस्व, वन, तथा अन्य सभी वर्ग की भूमि का समावेश होगा।

(3) ग्राम सभा के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रक्रिया:-
(c) ऐसे ग्राम या खेजा या खेजा (हेमलेट), फलिया या भजरा या पारा या टोले के पचास प्रतिशत से अधिक की मतदाताओं के द्वारा नयी ग्राम सभा के गठन हेतु एक प्रस्ताव पारित कर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को सूचक संस्करण। ग्राम पंचायत सचिव प्रस्ताव की एक प्रति कलक्टर को मेजबान।
(x) ग्राम पंचायत नयी ग्राम सभा के गठन संबंधी उप-नियम (2) में उल्लिखित प्रस्ताव एक महीने की कालावधि के भीतर उस तारीख से जिसको यह पारित किया जाता है उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करेंगी। ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि में प्रस्ताव उसके पारित नहीं किए जाने की स्थिति में, खेजा या फलिया के मतदाताओं के सम्मिलन का अध्यक्ष/सचिव वह प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी राजस्व को सूचित प्रस्तुत करने में समर्थ होगा;
(g) आवेदन के साथ नियम 3 के उप-नियम (2) में उल्लिखित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एक महीने के भीतर पृथक ग्राम सभा स्थापित करने के आशय से एक सार्वजनिक सूचना मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के अंतर्गत प्रस्ताव-एक में जारी करेगा। यह सूचना ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले शासकीय पाठशालाओं, यात्री प्रतिष्ठालय, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्कूल केन्द्रों, अंगनवाड़ी केंद्रों एवं अन्य शासकीय भवनों आदि पर चिपकाकर तथा डॉडी पिटवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों में
प्रकाशित की जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित जिला कलक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी।

(३) उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) ऐसे प्रस्ताव पर तीन माह की समय-सीमा के भीतर विनिमय करेगा। उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) अध्यक्ष अथवा उनके दूरबीर प्राधिकृत अधिकारी प्रस्तावित ग्राम के मतदाताओं का सम्मिलन आयोजित कर, प्रस्ताव का सत्यापन करने के लिए विलिखिय करेगा। इस सत्यापन में,-

(एक) मतदाताओं की वास्तविक उपस्थिति एवं प्रस्ताव में दर्शित सीमाओं पर निश्चित भूमिका का परिलक्षण किया जाएगा।

(दो) सीमाओं के सरकारी भूमिका सर्वकाल क्रमांक आदि अंकित किया जाएगा।

(४) किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यह प्रक्रिया तीन माह में न हो सकने की स्थिति में, उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) उसके कारण दर्शाते हुए कलक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। कलक्टर, प्रतिवेदन में दर्शाए कारणों से समाधान होने पर उक्त प्रक्रिया के लिए एक माह की अवधि बढ़ा सकते। उक्त बढ़ाई के समय-सीमा की समाप्ति पर, उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) फक्त-२ में उस "ग्राम" क्षेत्र में आने वाली ग्राम सभा का गठन अधिसूचित करेगा;

(५) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के उपखण्ड अधिकारी राजस्थान के कार्यालय के सूचना पत्त पर और ऐसी अधिसूचना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सहजवाद यथार्थ स्थान जैसे कि ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाली शासकीय विभाग, यात्री प्रत्यक्षालय, सामुदायिक भवन, प्राचीन स्थापत्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र एवं अन्य शासकीय भवनों आदि पर चिपाककर तथा डीडी पिटवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित जिला कलक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाएगी;

(६) उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) नवीन ग्रामसभा के गठन की अधिसूचना, अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के अधीन प्रस्तुत दो में जारी करेगा, जिसमें उस ग्राम क्षेत्र में आने वाली ग्राम सभाओं का क्षेत्रवार विवरण अंतर्विष्ट होगा। पुनर्गठित ग्राम सभाएं आगामी माह के प्रथम दिवस से अस्तित्व में आएगी।

(ज) उपर्युक्त अधिकारी (राजस्व) द्वारा अधिसूचित प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी;

(झ) प्रत्येक ग्राम सभा स्वशासी निगमित निकाय होगी तथा उसकी एक सामान्य पदमुख होगी और ऐसी ग्राम सभा के कर्तव्य व अधिकार किसी निगमित निकाय के अनुरूप होंगे;

(झ) प्रत्येक ग्राम सभा का कार्यालय उस ग्राम सभा क्षेत्र में होगा। साधारणतया कार्यालय किसी शासकीय भवन में होगा परंतु शासकीय भवन की अनुपस्थिति पर यह ग्राम सभा के किसी नागरिक के घर पर हो सकेगा। कार्यालय हेतु किसी भी प्रकार के किराए का भुगतान नहीं किया जाएगा;

(ट) ग्राम सभा के कार्यकारियों एवं अन्य सभी अभिलेख ग्राम सभा के कार्यालय में संगृहीत किए जावे। अभिलेखों की एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी जा सकेगी।

(ठ) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के लिए राज्य सरकार नई ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को प्रत्येक फलिया या टोले तक पुनर्चालन हेतु विशेष जनसंवाद अभियान चलाएगी।

4. ग्राम सभा का अध्यक्ष:

(1) प्रत्येक ग्राम सभा के समिति का एक अध्यक्ष होगा।

(2) ग्राम सभा के समिति की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी, जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या पंच न हो, और इस प्रयोजन के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित हुआ हो तथा सर्वसम्मति नहीं बनने की स्थिति में, ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित किया गया हो।

(3) ग्राम सभा के अध्यक्ष का कार्यकाल आगामी ग्राम सभा की तिथि तक रहेगा।
(4) कोई व्यक्ति एक से अधिक बार ग्राम सभा का अध्यक्ष नियुक्ति होते हेतु पात्र होगा किन्तु पंचायत के पूरे कार्यकाल के दौरान यह पात्रता एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. ग्राम सभा का सचिव,-

(1) ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर गठित समस्त ग्राम सभाओं का भी पदन सचिव होगा।

(2) ग्राम सभा के समितियों की कार्यवाहियों के अभिलेख के संगठान की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सचिव की होगी।

(3) किसी ग्राम सभा के समितियों में अपरिहार्य कारणों से ग्राम पंचायत के सचिव के उपस्थित नहीं हो सकने की दशा में बैठक में ग्राम सभा का अध्यक्ष, सचिव के दायित्व निर्वहन हेतु संबंधित ग्राम के किसी भी शासकीय या अर्थशासकीय कर्मचारी, जैसे कि शिक्षक, पतवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पेसा मोबाइलाइज़ेड आदि को ग्राम सभा के समितियों सचिव पद के दायित्व का निर्वहन करने हेतु अधिकृत कर सकेंगा।

(4) संबंधित ग्राम में ग्रामसभा के समितियों के लिए उप-नियम (3) में उल्लिखित किसी भी शासकीय सेवक या अर्थशासकीय सेवक के उपलब्ध न होने की दशा में ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम के किसी भी शिक्षित मतदाता को सचिव के दायित्व के निर्वहन हेतु अधिकृत कर सकेंगा।

6. ग्राम सभा के समितियों की तारीख, समय तथा स्थान,-

(1) ग्राम सभा का समिति ग्राम में ही किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जहाँ ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य बिना किसी रूकावट के उपस्थित हो सके।

(2) ग्राम सभा के सदस्य अथवा मतदाताओं के दस प्रतिशत या पच्चीस सदस्य, जो भी कम हो, दुवारा मौखिक या लिखित आवेदन किए जाने पर अध्यक्ष दुवारा सात दिन के भीतर ग्राम सभा का समिति बुलाया जाना अनिवार्य होगा:

परन्तु यदि इस संबंध में एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो उन सब को पेश किया जाएगा।

(3) ग्राम सभा नियमित अंतराल पर भी ग्राम सभा का समिति आयोजित करने हेतु संकल्प पारित कर सकेंगी। ऐसे नियमित समिति की तिथि
(अंग्रेजी तारीख शेगोरियन कलेंडर के सप्ताह का दिन), समय और स्थान ग्राम सभा द्वारा स्वयं ही स्थाई रूप से तय किया जा सकेगा। ग्रामसभा के स्थाई रूप से तय नियमित समिलन के लिए सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, समिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम 6 के अनुसार ग्राम सभा का समिलन ऐसे अंतरालों पर आयोजित किया जाएगा, जैसा कि उसके समक्ष विचारार्थ जारी-सूची के आधार पर आवश्यक हो:
परन्तु ग्राम सभा के दो समिलनों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

7. ग्राम सभा के समिलन की सूचना देने की रीति-

(1) ग्राम सभा के प्रत्येक समिलन की सूचना, समिलन की तारीख से कम से कम साल दिन पूर्व तारीख, समय तथा स्थान और विचार की जाने वाली कार्य-सूची को विज्ञापन करते हुए, दी जाएगी। किसी आपात स्थिति में, लिखित में अभिलिधित किए जाने वाले कारणों से, समिलन, तीन पूर्ण दिनों की सूचना देकर बुलाया जा सकेगा।

(2) समिलन की ऐसी सूचना,-

(क) ग्राम सभा क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्र में सहज-रस्ते स्थानों पर सूचना की एक प्रति चिपकाकर; और

(ख) ग्राम सभा क्षेत्र में डॉडी पिटवाकर घोषणा करते हुए दी जाएगी।

(3) ग्राम सभा का संयुक्त समिलन,-

(क) ऐसे विषय जिनका संबंध एक से अधिक ग्राम सभाओं से हो, उनके लिए ग्राम सभाओं का संयुक्त समिलन बुलाया जा सकेगा।

(ख) संयुक्त समिलन में किया गया विनिर्देश प्रत्येक सहभागी ग्राम सभा द्वारा किया गया विनिर्देश भावी जा जाएगा।

(ग) संयुक्त समिलन का अध्यक्ष, एकल ग्राम सभा की तरह सदस्यसम्मति से उपस्थित सदस्यों के बुलंद के आधार पर निर्देशित किया जा एगा।

(घ) संयुक्त समिलन की गणपूर्ति तब मान्य होगी जब प्रत्येक सहभागी ग्रामसभा की गणपूर्ति हो।
8. ब्राम यादा दुर्वा विनिश्चयः

(1) किसी समिलने में याम समा के समक्ष लाए गए समस्त विषय यथासमानता सर्वसम्मिलित से विनिश्चित किए जाएगे और जिनसे अस्फल होने पर वह उपस्थित सदस्यों के सामान्य मतत्क्ष के सिद्धान्त किया जाएगा। 'सामान्य मतत्क्ष' से अभिलेख है उपस्थित सभी मतदाता या तो प्रस्ताव के समर्थन में हैं या तटस्थ हैं:

परंतु जहाँ किसी विवादलक प्रति मतदाता है, वहाँ वह आगामी समिलन के समक्ष लाए जाएगा। यदि दो लगा स्थिति समिलनों में सर्वसम्मिलित या सामान्य मतत्क्ष से विनिश्चित नहीं किया जाता है, तो वह उपस्थित सदस्यों के प्रति दुर्वा विनिश्चित किया जाएगा। मतों की संख्या बढ़ा पर की क्रमानुसार मतदाता के अध्यक्ष करने वाले व्यक्ति का निर्धारण इत्यादि होगा।

(2) यदि इस संबंध से कोई विवाद उद्घोष होता है कि क्या कोई व्यक्ति मत देने का हकदार है, तो ऐसा विवाद याम समा क्षेत्र की मतदाता सूची में उसकी प्रविधि को ध्यान में रखते हुए याम समा के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

9. याम समा के संस्थालन एवं उसके अभिलेखों के संचारण के लिए प्रक्रिया:—

(1) याम समा में लिए गए विनिश्चयों को पंजी में अभिलेखित किया जाएगा और याम समा के सचिव द्वारा याम समा की उसी बैठक में सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) कार्यवाही पंजी पर अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या अभिलेखित की जाएगी। उक्त उपस्थित इच्छुक सदस्य जारी रखे पर कार्यवाही पंजी में हस्ताक्षर कर सकेंगे। उपस्थिति पंजी पृथक् से भी संचारित की जाएगी।

(3) इतिवृत्त या कार्यवाही के विवरण हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे।

(4) याम समा के कार्यवाही विवरण की एक प्रति सचिव द्वारा तीन दिन के भीतर याम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) याम समा की नियंत्रित्रों को याम पंचायत कार्यान्वित करेंगी अथवा करवाएंगी।

(6) यदि आवश्यक हो तो, किसी विवाद के अधिकारी/ कर्मचारी याम समा की बैठक में उपस्थित हो सकेंगे।
10. ग्राम सभा के विनिश्चय पर आपत्ति

(1) ग्राम सभा के निर्णय से व्यवहार कोई व्यक्ति या शासकीय विभाग ग्राम सभा के विनिश्चय से 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा और उस पर 30 दिवस के भीतर ग्राम सभा के समिलन में पुनर्विचार किया जा सकेगा।

(2) ग्राम सभा में पुनर्विचार नहीं किए जाने या ग्राम सभा के विनिश्चय से असंतुष्ट होने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7-ज अनुसार जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उस क्षेत्र की जनपद पंचायत के सदस्य तथा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) से मिल कर बनने वाली समिति को ऐसी रीति में जो विचित्र की गई है अनुसार अपील की जा सकेगी।

11. ग्राम सभा के समिलन के लिए गणपूर्ति

(1) ग्राम सभा के किसी समिलन के लिए गणपूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्यों के एक चौथाई या 100, जो भी कम हो से होगी। जिस में एक तिहाई से अनिम्न महिलाएं होंगी:
परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में किसी भी विनिश्चय हेतु गणपूर्ति कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से होगी, जिसमें से एक तिहाई से अनिम्न महिलाएं होंगी।

(2) यदि ग्राम सभा में कोई गणपूर्ति नहीं है, तो ग्राम सभा का अध्यक्ष ऐसे समिलन को आगामी तारीख या समय के लिए स्थगित कर देगा तथा इस प्रकार की सूचना विचित्र रीति में दी जाएगी।

(3) दो स्थगित समिलनों में भी गणपूर्ति आवश्यक होगी किंतु तीसरे समिलन स्थगित बैठक में गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी:
परंतु भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, भूमि वापसी तथा सामुदायिक संसाधन के संबंध में किसी भी विनिश्चय हेतु दो स्थगित समिलनों के पश्चात् भी स्थगित बैठक में कम से कम 25 प्रतिशत गणपूर्ति अनिवार्य होगी।

12. ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की शक्तियां एवं कृत्य

(1) ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य- किसी अनुमूलित क्षेत्र में, ग्राम सभा को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 7 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियां तथा कृत्यों के अतिরिक्त निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् : -
(क) व्यक्तियों की परंपराओं तथा सूचियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संसाधनों को तथा दिवाळी के निराकरण के रूपमें शरीरियों को सुरक्षित तथा संरक्षित करना;

(ख) ग्राम के क्षेत्र के भीतर स्थित प्राकृतिक संसाधनों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन सम्मिलित हैं, उसकी परंपरा के अनुसार और संविधान के उपर्युक्त के अनुसार और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों का सम्यक ध्यान रखते हुए, प्रबंधित करना;

(ग) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें अनुसूचित उपयोजनां शस्त्रित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए सोचों एवं व्ययों पर निर्यात रखना; और

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वाह करना जिसे कि राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त कर या न्यास करे।

(2) ग्राम पंचायत की शक्तियों एवं कृत्यों अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षक, नियंत्रण तथा निर्देश के अधीन निम्नलिखित शक्तियों भी होंगी, अर्थातः-

(क) ग्राम के बाजारों तथा मैलों का, वाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं, जिनमें पत्र- मेले सम्मिलित हैं, प्रबंधित करना;

(ख) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वाह करना, जैसा कि राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त कर या न्यास करे।

13. ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की निर्मितियाँ.-

(1) पंचायत निधि.- पंचायत निधि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं मध्य प्रदेश अधिनियम, 1993 की धारा 66 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार संचालित होगी।

(क) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपर्युक्त के अध्यादेश रहते हुए पंचायत में निर्हित समस्त संपत्ति और पंचायत निधि का उपयोग, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या साधारणतः पंचायतों के विकास संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य व्ययों की पृूति के लिए किया जाएगा, जो कि राज्य
सरकार, किसी पंचायत के आवेदन पर, या अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कार्य या प्रयोजन के लिए पंचायत को आवंटित किसी रक्म का उपयोग केवल उसी कार्य या प्रयोजन के लिए तथा उन अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार इस बाबत साधारणण: या विशेषत: जारी करे।

(ख) राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी वित्तीय कार्य का प्रयोग के लिए पंचायत को आवंटित किसी रक्म का उपयोग केवल उसी कार्य का प्रयोजन के लिए तथा उन अनुदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार इस बाबत साधारणण: या विशेषत: जारी करे।

(ग) ग्राम पंचायत की समस्त रकमें सरपंच तथा सचिव के हस्ताक्षर से आवंटित की जाएगी। पंचायत निधि में की समस्त प्राप्ति तथा पंचायत निधि में से समस्त आहरण से संबंधित जानकारी ग्रामसभा के समस्त उसके आगामी सम्मिलन में रखी जाएगी।

(घ) पंचायत निधि से रक्म के आहरण हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना आवश्यक होगा।

(ड.) ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा के समस्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान इसके प्रथम सम्मिलन में प्रस्तुत किया जाएगा व ग्राम सभा की सहमति प्राप्त होने पर या ग्राम सभा द्वारा ग्राम अनुशंसा का समावेश करने के बाद ही बजट कार्यान्वित किया जाएगा। प्रत्येक तीन महीने में एक बार, प्रत्येक ग्राम की ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की पंचायत निधि के आय-व्यय का प्रमाणन ग्रामसभा द्वारा करना अनिवार्य होगा।

(घ) ग्राम सभा निधि:-

(1) प्रत्येक ग्राम सभा की एक "ग्राम सभा निधि" होगी। ग्राम सभा निधि मध्यप्रदेश ग्राम सभा (ग्राम निधि का संचारण) नियम, 2005 के नियम 3 के अधीन उल्लिखित निधि तथा संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को आवंटित निधियों से मिलकर बनेगी।

(ख) प्रत्येक ग्राम सभा की "ग्राम सभा निधि" खाता निकटतम बँक में खोला जाएगा। ग्राम सभा अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों का चयन करेगी, जिसमें कम से कम 1 महिला होगी। इन सदस्यों में कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच या पंच या
उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा। आहरण तथा संवितरण हेतु इस समिति के दोनों सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

(ग) ग्राम सभा निधि के अशिलेख संधारण की जिम्मेदारी सचिव की होगी।

(घ) आहरण तथा संवितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर उसकी संयुक्त जिम्मेदारी हस्ताक्षरकर्ताओं की होगी।

(ङ) ग्राम सभा निधि से रकम के आहरण हेतु ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव आवश्यक होगा।

अध्यवस्त्रीय
शांति एवं सुरक्षा

14. शांति एवं विवाद निवारण समिति:- (1) ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों में से कम से कम 05 व अधिकतम 07 सदस्यों का चयन कर "शांति एवं विवाद निवारण समिति" का गठन किया जावेगा। उक्त समिति में ग्राम के निवासकर्ता अनुसूचित जनजातियों को जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जावेगा तथा इस समिति में कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य होगा।

(2) ग्राम सभा के सचिव द्वारा "शांति एवं विवाद निवारण समिति" के गठन की जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को प्रस्तुत की जावेगी।

(3) यह समिति पारंपरिक पद्धति से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी तथा ग्राम में शांति बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगी।

(4) इस समिति के निर्णय के विस्तार ग्राम सभा में अभीष्ट की जा सकेगी।

(5) प्रस्त्रेक "शांति एवं विवाद निवारण समिति" की बैठक के कार्यवाही का अशिलेख संधारण समिति के सचिव द्वारा किया जावेगा।

(6) स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम से संबंधित किसी भी प्रमाण सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने पर "शांति एवं विवाद निवारण समिति" को सूचित कराया जावेगा।

15. ग्राम सभा के अधिकारों की सीमाएँ:- ग्राम सभा उसके अधिकारों का प्रयोग निम्नलिखित सीमाओं के अन्तर्गत ही करेगी:-

(1) ग्राम सभा ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं करेगी जो कि तत्समय प्रकृत चर्चित विधि के विस्तार हो।
(2) ग्राम सभा ऐसे किसी भी कृषि का समर्थन नहीं करेगी जो क्षेत्र में निवास कर रही जनजातियों तथा अन्य स्थानीय समुदायों की रूढियों एवं परस्परांगों को क्षति पहुँचाएं।

(3) ग्राम सभा ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करेगी जो कि विविध सामाजिक समूहों के बीच दर्दभर या श्रुतायाल तथा बादाय देती हो या जिससे सामाजिक सीमाएं और भाषायाल कम होता हो।

(4) ग्राम सभा किसी भी शासकीय प्राधिकारी की विधि सम्मत गतिविधियों में किसी भी प्रकार का निषेध या बाधा उत्पन्न नहीं करेगी।

अध्याय-पार
भूमि प्रबंधन

16. ग्राम सभा द्वारा कृषि की योजना.-
ग्राम सभा किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाने में सक्षम होगी। ग्राम सभा के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रमुख बिंदु सम्मिलित हो सकेंगे:-
(1) निदंस्त में कटाव की रोकथाम।
(2) फसलों को बचाने हेतु चराई का विकास।
(3) वर्षा जल का संचयन एवं बितरण जिसका उपयोग कृषि हेतु किया जा सके।
(4) आपसी सहयोग से या अन्यथा, बीज, खाद आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ जान साझा करना।
(5) जैविक खाद, उद्भवक और कीटनाशकों को बढावा देना।
(6) कृषि विभाग, ग्राम सभा द्वारा तैयार की गई कृषि की योजना का नियमानुसार क्रियान्वयन करेगा।

17. भू-अभिलेखों का संचारण.-
(1) पटवारी एवं बीट गाई, विभाग के वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के प्रथम सप्ताह में वर्ष में एक बार ग्राम सभा को ग्राम की सीमा के भीतर आने वाले अद्यतन राजस्व और वन अभिलेख अर्थात् नक्शा, खसरा, बी-1 आदि उपलब्ध करवाएंगे।

(2) पटवारी, ग्राम सभा से प्राप्त निजी भूमि/शासकीय भूमि के अभिलेखों में जुटे तुधार की अनुसंधान 15 दिवस के अंदर सक्षम राजस्व अधिकारी को
या बीट गाड़ी को भेजेगा। सक्षम अधिकारी विधिक प्राधान्यों के अनुसार तीन माह के भीतर चुंबी सुधार के प्रकरण का निराकरण करेगा और पटवारी के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

(3) शासकीय अथवा सामान्य कृषि के उपयोग में व्यवहार से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिक्री, निर्यात अथवा अन्य किसी कारण से निजी भू-स्वामी के परिवर्तित होने की दशा में ग्राम सभा को पूर्व सूचना देना होगा।

(4) ग्राम सभा यह सूचित करेगी कि अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि शासकीय कारणों के उपयोग, भू-अधिग्रहण, वैध उपाधिकार एवं अन्य विधिक प्राधान्यों के विपरीत गैर-जनजाति क्षेत्र को हस्तांतरित न हो।

(5) ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि की नीतामी की दशा में उक्त भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को विक्रय करने की पहल करेगी।

(6) अनुसूचित जनजाति के ऐसो कोई भूमि जो उत्तराधिकार या अन्य विधिक कारणों के बिना गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अंतरित की गई हो तो ग्राम सभा ऐसी भूमि को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अथवा उसके परिवार को वापस अंतरित करने हेतु पहल करेगी।

(7) यदि ग्राम सभा के मत में कोई भूमि जिस पर कि अनुसूचित जनजाति व्यक्ति का अधिकार है, का गैर जनजाति व्यक्ति के पश्चात अंतरित करने के प्रयास हो रहे हो तो ऐसी कार्यवाही को रोकने की पहल ग्राम सभा कर सकेगी।

(8) ग्राम सभा भूमि के बंधक रखने से संबंधित मामलों को उसके संज्ञान में आने पर सामयिक प्रक्रिया के अधीन बंधक से निर्दूषित की कार्यवाही कर सकेगी।

18. भू-अर्जन के पूर्व परामर्श.-

(1) अधिसूचित क्षेत्रों में भू-अर्जन के समस्त मामलों में मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारंपरिक स्थल का अधिकार नियम, 2015 के नियम 16 के अनुसार संबंधित ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।
19. पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन के लिये जन सुनवाई:- प्रशासक, जो राजस्व विभाग अधिसूचना क्रमांक एक 16-15-(8)/2014-सात-श.2 दिनांक 29.08.2014 के अनुसार कलक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी, जो डिप्टी कलक्टर से अभिमन्यु श्रेणी का हो, दूरारा पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन की स्थिति तैयार करने के लिये मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारंपरिक नियम, 2015 के नियम 13 के अनुसार जन सुनवाई सभी ग्राम समाज में जहां भूमि के अर्जन दूरारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सदस्य निवास करते हैं, संचालित की जाएगी।

20. कपट दूरारा अंतरित आदिम जनजाति की भूमि की वापसी:-

(1) मध्यप्रदेश शू-राजस्तव संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 170-ख की उपधारा (2-क) के अनुसार यदि कोई ग्राम सभा अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में यह पाती है कि किसी आदिम जनजाति के सदस्य से मिलने कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमिस्वामी की भूमि पर बिना किसी विधिपूर्ण अधिकार के कब्ज़े में है तो वह ऐसी भूमि का कब्ज़ा उस व्यक्ति को वापस करेगी जिसकी कि वह भूमि मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की भूमि हो चुकी है तो उसके विधित वारिसों को वापस करेगी।

परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्ज़ा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह गामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट कर सकेगी, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्तव संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 170(ख) की उपधारा (2-क) के अनुसार ऐसी भूमि का कब्ज़ा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर वापस करेगा। राज्य शासन दूरारा उपविभाग अधिकारी के न्यायालय में ग्राम सभा दूरारा प्रचित किये गये ऐसे प्रकरणों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
अध्याय-पांच
जल संसाधनों एवं लघु जल संभार की योजना और प्रबंधन

21. (1) जल संसाधनों एवं लघु जल संभार की योजना और प्रबंधन.

(क) ऐसे जल संसाधन जो एक ग्रामसभा के सीमा क्षेत्र के भीतर हो, उन जल संसाधनों या निकायों के विषय में ग्रामसभा का विनियम सभी स्तर की पंचायतों के लिए वाचकारी होगा।

(ख) ग्रामसभा के विनियम सिंचाई, मत्स्यपालन, पेयजल आदि हेतु आवृत्ति व जल स्रोतों की शास्त्रता से संबंधित हो सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम में उपवध्यापण के उपयोग में पेयजल, निस्तर, सिंचाई को प्राथमिकता देगी।

(ग) अनुपुस्तित क्षेत्रों में मत्स्य पालन एवं पेयजल का प्रबंधन, 0 से 10 हेक्टेयर तक के लघु जलसंभार के लिए ग्राम पंचायत, 10 से अधिक किन्तु 100 हेक्टेयर तक के लघु जलसंभार के लिए जनपद पंचायत तथा 100 से अधिक किन्तु 200 हेक्टेयर तक के लघु जलसंभार के लिए जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन कार्य खण्ड (क) के अनुसार होगा।

(2) सिंचाई प्रबंधन.

(क) सिंचाई प्रबंधन के लिए 40 हेक्टेयर तक की सिंचाई क्षमता के प्रबंधन का अधिकार संबंधित स्तर की पंचायत को होगा।

(ख) सिंचाई जल के उपयोग एवं वितरण पर नियंत्रण संबंधित स्तर की पंचायत के प्रारंभ से किया जाएगा।

(ग) यदि सिंचाई प्रबंधन में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे ग्राम सभा की शांति एवं न्याय समिति के समाह रखा जायेगा। ग्राम सभा स्तर पर विवाद का समाधान नहीं होने की स्थिति में प्रकरण को कलक्टर को प्रेषित किया जा सकेगा।

(3) मत्स्य पालन.

(क) ग्राम सभा उसके नियंत्रण के क्षेत्र में शासकीय/सामुदायिक लघु जल निकायों में मत्स्य पालन का नियंत्रण/नियमन करने के लिये सक्षम होगी।
(ख) स्थानीय परम्पराओं के अनुसार मछलियों की उपलब्धता व प्रजातियों
की विविधता को बनाये रखने के लिय ग्राम सभा मत्स्य आर्थिक पर
नियंत्रण कर सकेगी।
(ग) ग्रामीणों के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा नत्मकी
उपयोग एवं विकास हेतु प्राथमिकता निभाई जाएगी।
(4) जल संसाधनों में प्रदूषण.- ग्राम सभा शासकीय, समुदायका अथवा निजी
जल निकायों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु निर्देश जारी
कर सकेगी।

अध्याय-छठ
खान और खनिज

22. गौण खनिज:-
(क) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18 के अंतर्गत अनुसूची-
एक एवं अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों
में खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत पूर्वक्षण अनुज्ञाप्त या
उत्तराखण्ड आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व, ग्राम सभा की
अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
(ख) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 18-क के अंतर्गत
अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में
खनिज क्षेत्र के प्रारंभिक चयन उपरांत, पूर्वक्षण अनुज्ञाप्त या उत्तराखण्ड
आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व, ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त
करना अनिवार्य होगा।
(ग) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 41-क के अंतर्गत
अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट गौण खनिजों के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में
नैतिक प्रादर्श गौण खनिजों के समुपर्योजन के लिये, खनिज क्षेत्र के
प्रारंभिक चयन उपरांत रियायत आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व,
ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
(घ) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 की अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 4
से 7 पर विनिर्दिष्ट खनिजों तथा अनुसूची-दो (अनुक्रमांक 01 को छोड़कर)
में विनिर्दिष्ट खनिजों का उत्तराखण्ड स्वीकृति के संबंध में इस नियम
के नियम 21 (2) में प्रवधानित संवर्ग के अधिमान अधिकार का उल्लंघन
किये बिना तथा इस नियम की शर्तें के अधीन अनुसूचित जनजाति की सहकारी सोसाईटियाँ/सहयोग, अनुसूचित जनजाति की महिला आवेदक, अनुसूचित जनजाति के पुरुष आवेदक को उनके संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) खनिज विभाग, ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गौण खनिज के सभी उत्तराधिकार आवंटन एवं नीताबी की जानकारी प्रदान करेगा।

खनिज विभाग ग्राम सभा द्वारा गौण-कानूनी गतिविधियाँ को रोकने और अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतें का संचालन लेगा एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा को प्रदान करेगा।

अध्याय-सात
मादक पदार्थ नियंत्रण

23. मादक पदार्थों के निषेध तथा विक्रय/उपयोग पर प्रतिबंध/विनियमन:-

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों का निषेध:-

(क) राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों के संबंध में निषेधार्था जारी करने पर, ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर इसे लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी।

(ख) ग्राम सभा उक्त निषेधार्था के उल्लंघन के लिए संबंधित व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड लगा सकेगी जो रूपये 1000/- से अधिक नहीं होगा।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में शारा/शांग के विक्रय का प्रतिबंध और विनियमन- ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर:-

(क) देशी/विदेशी शराब की नवीन दुकान खोलने का प्रस्ताव विहित अधिकारी से प्राप्त होने पर इसके 45 दिन की कालावधि के भीतर नई दुकान खोलने की अनुमति दे सकेगी। यदि ग्राम सभा 45 दिन के भीतर सर्वाधिकार से किसी निरीक्षण पर नहीं पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि ग्राम सभा की इस पर सहमति नहीं है तथा दुकान नहीं खोली जाएगी।

(ख) ग्राम के क्षेत्र के अंदर संचालित शराब/शांग दुकान के स्थल परिसर की अनुशंसा कर सकेगी जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी;
(ग) किसी स्थानीय त्योहार के अवसर पर उस दिन की संपूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए संचालित शराब/भांग दुकान बंद करने की अनुशंसा कलक्टर को कर सकेगी। कलक्टर स्वतंत्र से घोषित 4 शुष्क दिवस के अंतर्गत दुकान को उक्त क्षेत्र के लिए बंद कर सकेगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में शराब/भांग के उपभोग पर प्रतिबंध तथा विनियम- ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर,

(क) किसी निर्धारित सार्वजनिक स्थल/परिसर में शराब/भांग का उपभोग प्रतिबंधित कर सकेगी।

(ख) मध्यप्रदेश आबादी अधिनियम, 1915 की धारा-16 के अधीन विहित मादक पदार्थ की व्यक्तिगत आधिपत्य की सीमा को कम कर सकेगी।

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु मध्यप्रदेश आबादी अधिनियम, 1915 की धारा-61(2)(तीन) में निर्धारित आधिपत्य की अधिकतम सीमा को कम कर सकेगी।

अध्याय-आठ

24. (1) ग्राम योजना की योजना- 

(क) ग्राम सभा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभियंता के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर सकेगी।

(ख) ऐसे कार्य जिनमें मस्तर रोल का उपयोग होता है, से संबंधित काम शुरू होने के पहले दिन ऐसे मस्तर रोल की जानकारी ग्राम सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। यदि ग्रामसभा के अध्यक्ष या सदस्य मस्तर में फर्जी नाम या अन्य गुटियां पाते हैं, तो ऐसे गुटियों को ठीक किया जावेगा।

(2) गांव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का नियम- 

(क) गाँव से बाहर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति एवं शर्तों की संपूर्ण जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध करायेंगे, जिनका संधारण विहित रीति में किया जावेगा।
(ख) प्रवासी श्रमिकों की समस्या की सूचना प्राप्त होने पर, शांति एवं न्याय समिति संबंधित विभागों से परामर्श कर उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करेंगी।

(ग) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रारंभ की गई योजनाओं, कानूनी प्रवर्धन, विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिकों को प्राप्त हो।

(3) कार्यानुसार मजदूरी निर्धारण.-

(क) नियम मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा;

(ख) यदि किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति के श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान किया जाता है, तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्रवाई करेगी।

अध्याय-नौ
गौण वनोपज

25. गौण वनोपज का परंपरागत प्रबंधन.-

(1) अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वर्गों के संवहनीय एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जा सकेगा:

परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि वनभूमि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत में निहित हो गई है।

(2) उक्त समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।

(3) ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंध योजना के जरिए गौण वनोपज का समुचित दोहन तथा जैवविविधता व जैविक स्त्रोतों का रक्षण व संवर्धन कर सकेगी।
26. गौण वनोपज संबंधित अधिकारः

(1) वारंगरिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व तथा प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति और अन्य परिपार वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(g) के अनुसार होगा।

(2) ग्राम सम्मा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या नियम 25 के अधीन गठित समिति या शासन दूरवासा गठित किसी भी एजेंसी या समूह के माध्यम से गौण वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी।

(3) एक या एक से अधिक ग्राम सम्मा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तथा तर कर सकेगी। ग्राम सम्मा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके नियमानुसार व्यवस्था वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी।

(4) तदूपलते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्मांकित के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्राम सम्मा चाहे तो तदूपलते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्ते ग्राम सम्मा इस बाबत संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसंबर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवायें।

27. ग्राम सम्मा के कर्तव्यः ग्राम सम्मा निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगी-
(1) ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति और अन्य परिपरामर्श वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(३) तथा धारा 5 के अनुसार ग्राम सभा की होगी।

(2) ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का कार्य उसके द्वारा गठित वन संसाधन योजना एवं नियमित समिति के माध्यम से करेगी। इस हेतु ग्रामसभा द्वारा आवेदन करने पर शासन के समस्त विभाग सहायता करेंगे।

(3) ग्राम सभा परिवार और सामुदायिक जनसूची जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उत्पादन बनाने के लिए सूखी और मरी हुई लकड़ी, बांस तथा पारंपरिक संसाधन में लगाने वाले पदार्थों के आवश्यकतानुसार वन से निकालने के लिए व्यवस्था करेगी।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभा समूह अपने-अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के लिए, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाएगी।

अध्याय-दस

बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण

28. बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना और

(1) मध्यप्रदेश पंचायतप्रमाण एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 80 के अनुसार पंचायत, अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट किसी फीस के संग्रहण का कार्य सार्वजनिक नीलाम व्यापार तथा तदनुसार विक्रित रीति में ठेके पर दे सकेगी;

(2) बाजारों या मेलों का विनियम भारत मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 58 के अध्यधीन रहते हुए मध्यप्रदेश पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियम) नियम, 1994 के अनुसार विनियम किया जायेगा।
अध्याय - म्याराह

साहूकारी

29. अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार देने पर नियंत्रण.- (१) अनुसूचित क्षेत्रों में किसी स्थान पर साहूकारी का कार्यालय मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी विनियम, 1972 (क्रमांक २ सन् १९७२) के प्रावधान के अनुसार लायसैंस प्राप्त कर उक्त विनियम के उपबंध के अध्यधीन किया जा सकेगा।

(२) साहूकारी लायसैंस सारीकरण अधिकारी लायसैंस की एक प्रति आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम सभा को उपर्युक्त जानकारी से अवगत कराया जाएगा।

(३) साहूकारी का यह दावेदार होगा कि वह उसके द्वारा दिये/टिकेट या गये क्रण का ग्रामवार दिवरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को तैमासिक रूप से प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा उक्त जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सुवृध्दित की जाएगी।

(४) ग्राम सभा साहूकारी के विस्तृत किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी तथा उपर्युक्त निर्देशानुसार पाप जानें पर उपखण्ड अधिकारी को यथोचित जांच एवं कार्यवाही हेतु अनुसूचित करेगी।

(५) उपखण्ड अधिकारी यथोचित जांच एवं कार्यवाही पश्चात् ऐसी अनुशंसा की रिपोर्ट ४५ दिवस के भीतर ग्राम सभा को सूचित करेगा।

अध्याय-बाराह

सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण तथा विश्लेषण हितग्राहीमुखक योजनाओं में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन

30. (१) विश्लेषण सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं तथा संस्थाओं पर नियंत्रण की शक्ति.-

(क) ग्राम सभा, सामाजिक एवं स्थानीय क्षेत्रों में चल रही सभी वार्षिक, सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं, छात्रावास, आंगनबाड़ी इत्यादि का समय-समय पर निरीक्षण, पुनर्रीक्षण करने हेतु सक्षम होंगी।

परन्तु ग्राम सभा स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक निरीक्षण तथा वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सक्षम होंगी।
(ख) ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्र में चल रहे समस्त संस्थाओं योजनाओं के निरीक्षण हेतु समय-समय पर एवं तदर्थ समिति बना सकेंगी जो कि निरीक्षण के पश्चात नियत समय पर ग्राम सभा को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(1) ग्राम सभा अधिनियम की धारा 7क की धारा (1) में उल्लिखित स्थाई समितियों के अतिरिक्त किसी समयबद्ध कार्य के कार्यान्वयन के लिए शासन या कलक्टर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तदर्थ समिति का गठन कर सकेंगी। तदर्थ समिति में उलती संख्या में सदस्य हो सकेंगे। जितने कि ग्राम सभा अथवा सरकार द्वारा विनिर्देशित किए जाएं।

(2) कार्यालय के संचालन की प्रक्रिया तथा रचना तथा अन्य सहयोग विषय ऐसे होंगे, जैसे कि सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं अथवा ग्राम सभा द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) प्रत्येक तदर्थ समिति, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(4) कोई पंच ऐसी तदर्थ समिति का सदस्य हो सकेंगा, जो ऐसे पंच के निर्बाचन क्षेत्र से संबंधित हो।

(5) शासन, छात्रावासों तथा आश्रयालयों के निरीक्षण हेतु तदर्थ समिति में पालक-शिक्षक संघ के दो सदस्य आवश्यक होंगे जिनमें से एक महिला सदस्य होना आवश्यक होगा।

(ग) जिन हितग्राही मूल्यांकन योजनाओं में निर्धारित पात्रता के मापदंड अनुसार हितग्राही कर लाभान्वित किया जाना है उन योजनाओं में हितग्राही कर लाभान्वित हितग्राहीयों का विवरण वैमानिक रूप से ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा यदि कोई पात्र हितग्राही लाभान्वित/ हितग्राही होने से वंचित पाया जाता है तो ग्राम सभा संबंधित को लाभ देने हेतु निर्देशित करेगी।

(घ) यदि किसी योजना में हितग्राही का चयन किया जाना है तो ऐसी दशा में ग्राम सभा इस संबंध में जारी शासकीय निर्देशों में उल्लेखित मापदंडों के अनुसार विशेषता क्रम में हितग्राही का चयन करने में सक्षम होनी।
(3) संबंधित हितग्राही को ग्राम सभा से चयन के पश्चात् ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

(4) ग्राम पंचायत दूरारा प्रस्तावित कार्य योजना पर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) ग्राम सभा क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं के विवरण ग्राम सभा के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायता अधिकारी दूरारा स्वीकृत कार्यावर्त के तत्पश्चात तैमारित भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) महिलाएं एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं-

(क) आंगनबाड़ी/उप आंगनबाड़ी केन्द्रों में गठित सहयोगिणी मातृ समिति /उप समिति में नामांकित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पश्चात् अनुमोदन ग्रामसभा से प्राप्त किया जावेगा;

(ख) ऐसी समिति में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से नामांकित होंगे;

(ग) समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला नामांकित होंगी;

(घ) ग्राम सभा सहयोगिणी मातृ समितियों के माध्यम से आंगनबाड़ी एवं उप आंगनबाड़ी केन्द्रों में संचालित समस्त योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, तैमारित समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण करेगी।

(3) ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि,-

(क) कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की गई हो;

(ख) कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता बनी हो;

(ग) मजदूरों को उनकी मजदूरी मानकिक रूप से बताई गई है एवं उन्हें सार्वजनिक स्थल पर प्रदान की गई है।
31. अधिनियम/नियमों में संशोधन.- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) की धारा 4 (क) के अनुसार इन नियमों के प्रकाशन होने के एक वर्ष के भीतर इन नियमों के विभिन्न प्रावधानों में उल्लेख अनुसार शासन के विभिन्न विभाग आवश्यकतानुसार राज्य अधिनियम/नियमों/ आदेशों/ निर्देशों/परिपत्रों में संशोधन करेंगे तथा यदि भारत सरकार के किसी अधिनियम/नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो इस हेतु संबंधित विभाग से महामहिम राज्यपाल महोदय को सूचित किया जावेगा।

32. नियमों की प्रभावशीलता.- इन नियमों के प्रकाश होने पर, इन नियमों के प्रबुद्ध होने के ठीक पूर्व नागपंथ प्रदेश राज्य के प्रबुद्ध इन नियमों के तत्त्वांशी नियम जो इन नियमों से असंगत हों तो, उस स्थिति में यह नियम प्रभावी होंगे:

परन्तु इस प्रकार किसी भी नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाही के बारे में जब तक ऐसी कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के किसी उपबंधों की असंगत न हो यह समझा जावेगा कि वह इन नियमों के तत्त्वांशी उपबंधों के अधीन की गई है।

अध्याय-चौदह
प्रकीर्ण

33. निर्बन्धन .- यदि इन नियमों से संबंधित किसी उपबंधों के निर्बन्धन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
प्रस्तुत-एक

(देखिये नियम 3 का उपनियम (3) का खण्ड (ग))

सूचना

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के साथ परिभाषित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-4 के उपनियम (3) के खण्ड (क) द्वारा पदार्थ शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी राजस्व) नीचे दी गई सारणी के कार्य (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित (ग्राम/ग्रामों के समूह/मजरां/टोल/आदि के लिए) पृथक ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एवं दावा/प्राप्ति प्रकाशित करता है।

उन आपत्तियों या सुझावों पर, जो दिनांक .................. तक अड़ाहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त हो, विचार किया जाएगा और उक्त तारीख के अवसान होने के पूर्व प्राप्त आपत्तियों, दावों या सुझावों पर दिनांक ................ को कार्यालय में सुनवाई की जाएगी.

सारणी

<table>
<thead>
<tr>
<th>विकास खण्ड का नाम</th>
<th>ग्राम पंचायत का नाम</th>
<th>विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र</th>
<th>प्रस्तावित ग्राम सभा का अनुक्रमांक</th>
<th>ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोल, पारा)</th>
<th>जनसंख्या</th>
<th>पटवारी हस्तक्षेत्र क्रमांक</th>
<th>अन्य व्योरा</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्थान:

जारी करने का दिनांक: विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी राजस्व)
प्रमुख-दो
(देखें नियम 3 का उपनियम (3) का खण्ड (छ))

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य पंचायत राज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के सहितित मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम समा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-5 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी राजस्थ) एतद्वद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित क्षेत्र के लिए ग्राम समा (सभाओं) का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएगी:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>खण्ड का नाम</th>
<th>ग्राम पंचायत का नाम</th>
<th>विद्यमान ग्राम समा में सम्मिलित क्षेत्र</th>
<th>विवरणित ग्राम समा</th>
<th>ग्राम समा का अनुक्रमांक</th>
<th>ग्राम समा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, ठोस, पता)</th>
<th>जनसंख्या हस्ताक्षर क्रमांक</th>
<th>पत्तवरी हस्ताक्षर</th>
<th>अन्य क्षेत्र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>(2)</td>
<td>(3)</td>
<td>(4)</td>
<td>(5)</td>
<td>(6)</td>
<td>(7)</td>
<td>(8)</td>
<td>(8)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्थान:
ञारी करने का दिनांक: विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी राजस्थ)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गलय श्रीवस्तव, अपर मुख्य सचिव.

निर्देशक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन समीक्ष, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, मोळिया से मुद्रित तथा प्रकाशित: 2022.